न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

प्रार्थना –पत्र नम्बर 36/2023
अनवान सरजीतकौर बनाम स्टेट
प्रार्थना – पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए आरटीए

सरजीतकौर उर्फ अग्रेजकौर पत्नी सं. आत्मासिह आयु 75 वर्ष जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया।

प्रार्थीया

बनाम

1. तहसीलदार राजस्व संगरिया।
2. जसविन्द्र सिह पुत्र जसवीर सिह
3. जसवीर सिह पुत्र आत्मासिह
4. कर्मजीतकौर पत्नी श्री जसवीर सिह
5. इकबाल सिह पुत्र श्री महेन्द्र सिह
6. परमपाल सिह पुत्र श्री प्यारासिह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया वर्तमान में हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।

समस्त जाति जटसिख निवासीगण गांव शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

1. श्री नवीन कुमार सेठी– अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री सुनील कुमार टाण्डी अधिवक्ता अप्रार्थीगण

–:आदेश:–

दिनांक :– 13.2.2024

उक्त अनुवानी प्रार्थना पत्र प्रार्थीया की तरफ से जरिए वकील निम्न तथ्यों के आधार पर पेश किया गया कि प्रार्थीया वरिष्ठ नागरिक है। प्रार्थीया की तहसील संगरिया के चक 15 एमजेडी के एकल खाता संख्या 128/5 में कुल 5.0600 हैक्टेयर खातेदारी कृषि भूमि है। जिसमें से 2.0240 हैक्टेयर कृषि भूमि बारानी प्रथम एवम 2.9360 हैक्टेयर नहरी तथा 0.1000 हैक्टेयर गैरमुमकिन खाला है। जमाबन्दी संवत 2073–2076 की प्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थीया के पुत्र जसवीर सिह, पौत्र जसविन्द्र सिह की कृषि भूमि चक नम्बर 15 एमजेडी के खाता संख्या 109/59 में स्थित है। प्रार्थीया के पौत्र जसवीर सिह द्वारा स्वंय की कब्जा काश्त की कृषि भूमि प.न. 120/172 के मु.न. 22 के किला नं. 9 व 12 तथा प्रार्थीया के पुत्र जसवीर सिह के किला नं. 18 में ट्यूबवैल एवं जल संग्रह केन्द्र (डिग्गी) निर्मित है व बोर लगा हुआ है। चूकि प्रार्थीया की कृषि भूमि में से 2.0240 हैक्टेयर कृषि भूमि बारानी–1 है। जिसमें जल/पानी के अभाव में फसल अच्छी नहीं होती है तथा किस्म भी गुणवत्तापूर्ण नहीं रहती है। उक्त भूमि में सिंचाई की अति महती आवश्यकता होने के कारण व अच्छी तथा गुणवत्तापूर्ण उपज हेतु उक्त ट्यूबवैल/बोर से सिंचाई सुविधा प्राप्त करने के लिए पत्थर संख्या 120/172 के किला नं. 18 जो अप्रार्थी सं.2 का है तथा किला नं. 23 जो अप्रार्थी सं. 3 का है, एवम् पत्थर संख्या 120/173 के किला नं. 3. 4 जो अप्रार्थी सं 2 का है तथा किला नं. 5 जो अप्रार्थी सं. 4 का है, में से तिरछी तथा मुनं. 28, 41, 49 के किला नं. 5, 6, 15, 16 व 25 में पत्थर नंबर 12 की पत्थर लाईन के साथ–साथ भूमिगत पाईप लाईन भूमि की सतह से लगभग 4 फुट गहरी (नीचे) बिछाई गई है। जो पत्थर नं. 121/175 के मुनं.50 के किला नं. 21, 22, 23 जो अप्रार्थी सं.5 की कब्जा–काश्त है. के नीचे से होती हुई

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

प्रार्थीया की कृषि भूमि किला नं. 25/1 तक आती है। उक्त पाईप लाईन अप्रार्थीगण की मौखिक सहमति व अनुमति से डाली गई है। जिससे प्रार्थीया अपनी कृषि भूमि में सिंचाई निर्बाध रूप से निरन्तर करती आ रही है। प्रार्थीया अपनी खातेदारी कृषि भूमि में सिंचाई, अच्छी सिंचाई व अच्छी फसल व फसल के लिए उक्त भूमिगत डाली गई पाईप लाईन को विधिक रूप से स्वीकृति प्राप्त करने व स्वीकृत करवाने की अधिकारी है जो राज्य व केन्द्रीय सरकार तथा विधान के इस हेतु उद्देश्यों की पूर्ति हेतु व अच्छी सिंचाई हेतु नीतियों के अनुसरण में भी विधि–सम्मत है तथा प्रार्थीया की कृषि भूमि तक पहुंचने के लिए लघुतम/निकटतम रूट या दूरी है। प्रार्थीया द्वारा तहसील संगरिया के चक नंबर 15 एमजेडी के पं.नं. 120/172 मुरब्बा नं. 22 के किला नंबर 12, 18, 23 व पत्थर नंबर 120/173 मुरब्बा नं 28 के किला नं. 3, 4 व 5 तिरछी तथा पत्थर संख्या 120/173 मुरब्बा नं.28, पत्थर नंबर 120/174 मुरब्बा नं.41, पत्थर नंबर 120/175 मुरब्बा नं. 49 प्रत्येक के पत्थर नंबर 120 पत्थर लाईन के साथ किला नं. 5. 6. 15. 16 व 25 में तथा पत्थर मंबर 121/175 मु.नं 50 के किला नं. 21, 22, 23, 24 व 25/1 में से डाली गई भूमिगत पाईप लाईन की विधिक स्वीकृति हेतु आग्रह है तथा स्वीकृति के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई विधिक बाधा/कठिनाई नहीं है। इस भूमिगत पाईप लाईन को सिंचाई हेतु प्रार्थीया द्वारा लिए जा रहे उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की कोई बाधा व विघ्न उत्पन्न ना हो, इसके लिए प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थीगण को विधिक रूप से स्वीकृत करवाने हेतु निवेदन किया तथा पारस्परिक सहमति हेतु प्रयास किया गया किन्तु प्रार्थीया पूर्णतः सफल नहीं हुई। कुछ व्यक्ति राजनीतिक व चुनावी रंजिश, दुर्भावना व द्वेष से उक्त भूमिगत डाली गई पाईप लाईन को उखाड़ने, तोडने व नष्ट करने हेतु प्रयासरत हैं तथा उनके द्वारा निरन्तर धमकी भी दी जा रही है कि अगर वे अपने विधि–विरूद्ध कृत्य में सफल हो गए तो प्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति होगी और भारी असुविधा भी होगी। अप्रार्थी सं. 1 को भूमिधारी (भू–धारक) होने के कारण पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है। प्रार्थीया द्वारा उक्त भूमिगत पाईप लाईन के सम्बन्ध में अप्रार्थी सं1 के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील संगरिया के चक नंबर 15 एमजेडी के खाता नंबर 120/172 के मुरब्बा नं. 22 के किला नंबर 12, 18. 23 पत्थर नंबर 120/173 के मुरब्बा नं.28 के किला नंबर 3, 4 व 5 तिरछी तथा पत्थर नंबर 120/173 मुरब्बा नं.28, पत्थर नंबर 120/174 मुरब्बा नं.41, पत्थर नंबर 120/175 मुरब्बा नं.49 प्रत्येक के पत्थर नंबर 120 पत्थर लाईन के साथ किला नं. 5, 6, 15, 16 व 25 में तथा पत्थर नंबर 121/175 मु.नं.50 के किला नं. 21. 22, 23, 24 व 25/1 में से डाली गई भूमिगत पाईप लाईन को विधिक स्वीकृति प्रदान करें। प्रार्थीया माननीय न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में अधिरोपित शर्तों/आदेशों की पालना हेतु तैयार व तत्पर है तथा वचनबद्ध है।

अतः प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्राईनल पत्र प्रस्तुत कर

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

प्रश्नगत पाईप लाईन की स्वीकृति हेतु अपनी सहमति प्रदान की गई। तहसीलदार राजस्व संगरिया से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली किया।

तहसीलदार राजस्व संगरिया की मौका जांच रिपोर्ट तथा पत्रावली में अन्य दस्तावेजात का भली–भांति अवलोकन किया गया। अत प्रार्थी की मांग/सिचाई सुविधा एवं अप्रार्थीगणों की सहमति को दृष्टिगत रखते हुए पाईप लाइन डालने की स्वीकृति जारी करने का आदेश निम्न शर्त पर पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है:–

- पाईप लाईन कम से कम 3 फीट गहरी जमीन के अन्दर होना आवश्यक है अन्य कृषकों को दुविधा नही हों।
- प्रार्थीया प्राकृतिक कारणों से हुई किसी क्षति के लिए क्षतिपूर्ति की मांग नही करेगा।
- शर्तो की उल्लघंन पर पाईप लाईन की स्वीकृति कभी भी निरस्त की जा सकेगी।
- प्रार्थीया द्वारा डाली गई पाईप लाईन लिकेज होने पर प्रार्थी लिकेज पाईप को सही करने के लिए पाबन्द रहेगा।
- तहसीलदार संगरिया राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम (संशोधित) 2012 के अनुसरण में नियम 70(2)(b) के तहत प्रार्थीया द्वारा वादग्रस्त आराजी डीएलसी का 10 प्रतिशत अनुसार गणना करवाकर राशि राजकोष मे जमा करवाये।
- रास्ता/खाला को कोई नुकसान नही पहुचें तथा रास्ता में कभी भी आवागमन में बाधा नही हो और पाईप लाईन डालते/लिकेज सही करते समय किसी भी काश्तकार की फसल का या अन्य किसी भी प्रकार का कोई नुकसान न हो।

आदेश

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 251–ए आरटीए स्वीकार कर उक्त शर्तो की पालना के आधार पर प्रार्थी को चक नंबर 15 एमजेडी के खाता नंबर 120/172 के मुरब्बा नं. 22 के किला नंबर 12, 18. 23 पत्थर नंबर 120/173 के मुरब्बा नं.28 के किला नंबर 3, 4 व 5 तिरछी तथा पत्थर नंबर 120/173 मुरब्बा नं.28, पत्थर नंबर 120/174 मुरब्बा नं.41, पत्थर नंबर 120/175 मुरब्बा नं.49 प्रत्येक के पत्थर नंबर 120 पत्थर लाईन के साथ किला नं. 5, 6, 15, 16 व 25 में तथा पत्थर नंबर 121/175 मु.नं.50 के किला नं. 21. 22, 23, 24 व 25/1 में 3 फीट गहराई में सिंचाई के लिये पाईप लाईन डालने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है। तथा संबंधित भूमि के समस्त काश्तकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे प्रार्थीया की सिचाई सुविधा हेतु भूमिगत डाली गई सिंचाई पाईप लाईन मे किसी प्रकार की कोई बाधा/नुकसान कारित नही करेंगें। गैरमुमकिन रकबे के संबंध में नियमानुसार भूमि की लम्बाई X चौड़ाई के माप किये जाने एवं राजकोष मे नियमानुसार राशि जमा होने के पश्चात् ही प्रश्नगत पाईप लाईन स्वीकृत शुमार समझी जावेगी।

आदेश आज दिनांक 13.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया